प्रेस ब्रीफ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) 2017-18

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखने हेतु राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)-राजस्थान सरकार राज्य विधानमण्डल के पटल पर दिनांक 06 मार्च, 2020 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को जन लेखा समिति को सौंप दिया गया माना जाता हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कुछ मुख्य बिन्दु निम्न हैं:-

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रकरण

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन' एवं 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन' की दो निष्पादन लेखापरीक्षाऐं शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संक्षिप्त सार की निम्न अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (राखासुअ), 2013, सितम्बर 2013 मे अधिनियमित किया गया था, जिसे राजस्थान में 2 अक्टूबर 2013 से प्रभावी किया गया। राज्य में राखासुअ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने लाभार्थियों की पहचान के लिए न तो सर्वेक्षण करवाया ओर ना ही बोगस राशन कार्डो की बड़ी संख्या को खत्म करने के लिए प्रभावी उपाय किये। वितरण श्रृंखला के किसी भी स्तर पर गेहूँ की गुणवत्ता की निगरानी नहीं की जा सकी थी। आधार/भामाशाह संयोजन में महत्वपूर्ण दोहराव था परिणामस्वरूप पात्रता से अधिक गेहूँ का अनियमित वितरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अभी तक कंप्यूटरीकृत नहीं था।

33,271 चिन्हित लाभार्थी जो उचित मूल्य दुकानों (उमूदु) पर जाकर खाद्यान्न प्राप्त करने योग्य नहीं थे को खाद्यान्न कूपन वितरित किए जाने के प्रयास नहीं किए गए थे। गेहूँ का वितरण आधार/भामाशाह समर्थित पोस जो कि पहचान युक्त थी, के द्वारा किये जाने के बावजूद भी राशनकार्डो की बाहुल्यता एवं दोहराव के दृष्टान्त थे जिसके कारण खाद्यान्न का अधिक वितरण हुआ।

संयोजित राशन कार्डो की संख्या के अनुसार उमूदु की लाभप्रदता एवं न्यूनतम आय सुनिश्चित नहीं की गई थी। स्वचालित प्रणाली एवं निगरानी निकायों जैसे राज्य

स्तरीय सतर्कता समिति की अनुपस्थिति के कारण आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण कमजोर था। राज्य सरकार द्वारा राज्य खाद्य आयोग की अधिसूचना जारी करने के बावजूद भी इसे कार्यशील नहीं बनाया गया। प्रवर्तन अधिकारियों/प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उमूदु का निरीक्षण भी नहीं किया गया था।

इन कमियों के साथ शिकायत निवारण प्रणाली का अप्रभावी होना, नियमित निरीक्षण का अभाव, आंतरिक एवं सामाजिक लेखापरीक्षा के अस्तित्व में नहीं होने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर हुई।

(अनुच्छेद 2.1)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन

भारत सरकार ने 14-18 आयु वर्ग के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध, सुगम तथा सस्ती बनाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) का शुभारंभ मार्च 2009 में किया। यद्यपि बेहतर नामांकन, कक्षाओं के मध्य उच्च ट्रांजिशन तथा कम ड्राप आउट के द्वारा 2013-18 के दौरान माध्यमिक शिक्षा के क्रियान्वयन में लगातार प्रगति हुई है, लेकिन माध्यमिक स्कूलों में भौतिक बुनियादी ढांचा तथा अध्यापकों की उपलब्धता अभी भी पर्याप्त नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22.55 प्रतिशत (1,51,042 में से 34,065) बस्तियां पांच किलोमीटर की निर्धारित सीमा में माध्यमिक विद्यालय तक की पहुंच नहीं रखती थी, जो दर्शाती है कि 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का रमसा का उद्देश्य पूर्णत: प्राप्त नहीं हुआ।

नमूना जांच किए गए 44 प्रतिशत (225 में से 99) विद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात (पीटीआर) 31:1 तथा 190:1 के मध्य था। यह विद्यालयों में अध्यापकों का असमान वितरण इंगित करता है जो कि राज्य स्तर पर समग्र पीटीआर में प्रतिबिंबित नहीं हुआ जो कि 30:1 की निर्धारित सीमा के अन्दर था। रमसा के क्रियान्वयन के नौ वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी सरकार प्रत्येक विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी।

राज्य में कक्षा नौवीं एवं दसवीं में सकल नामांकन अनुपात (14-15 वर्ष आयु वर्ग में कुल जनसंख्या से कक्षा नौवीं एवं दसवीं में प्रतिशत नामांकन) में 71.12 प्रतिशत (2013-14) से 78.87 प्रतिशत (2017-18) की वृद्धि होने के बावजूद भी, यह 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान नमूना जांच किए गए 225 राजकीय विद्यालयों में कक्षा नौवीं से दसवीं में ट्रांजिशन दर सभी प्रबन्धकीय विद्यालयों के राज्य के औसत 90 प्रतिशत की तुलना में 80 प्रतिशत तक थी जो कि राजकीय विद्यालयों में दी गई शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

उपरोक्त कमियां इस तथ्य का द्योतक है कि 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का रमसा का उद्देश्य पूर्णत: प्राप्त नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.2)

अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दु

आलोच्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियां उजागर की जिन्होनें राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय III में प्रतिवेदित किये गये हैं। प्रमुख आक्षेप निम्न प्रकार से हैं:

कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय तथा राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजूवास), बीकानेर द्वारा निधियों को बचत बैंक खाते में रखने तथा अंशदान को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपाजिटरी लिमिटेड में हस्तान्तरित करने में देरी के कारण पशुपालन एवं उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं को ₹ 3.49 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 3.1)

वित्तीय नियमों के विपरीत अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन पर ₹ 7.15 करोड़ का अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय क्योंकि सक्षम प्राधिकारी से अतिरिक्त मात्राओं के लिये आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नही किया गया।

(अनुच्छेद 3.2)

स्वीकृति की राशि को अतिरिक्त मुख्य अभियंता की सक्षमता में रखने के आशय से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पाइपों की मात्रा एवं गुणवत्ता में अनौचित्यपूर्ण कमी के कारण उच्च जलाशय तीन वर्ष से अधिक समय तक आरम्भ नहीं किये जा सके एवं ₹ 0.94 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.3)

राजकीय पन्नाधाय अस्पताल, उदयपुर में संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना पुराने अस्पताल भवन के प्रथम तल के ऊपर मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई के निर्माण के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण भवन में संरचनात्मक क्षति और ₹ 10.47 करोड़ का निष्फल व्यय।

(अनुच्छेद 3.4)

अनुचित योजना तथा बिना उपयोग के अधूरे छोड़े गये ढांचे के कारण उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में बाह्य रोगी विभाग मय आपातकालीन खण्ड के निर्माण पर ₹ 3.67 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.5)

आँगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन

6 महीने से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए सबाविसे कार्यक्रम के तहत पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा और अन्य सेवाओं के प्रतिपादन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम सौपान हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में योजना, बुनियादी ढाँचे, उपकरण और मानव शक्ति की उपलब्धता में कमियाँ थीं। पूरक पोषाहार और स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए लक्षित पात्र लाभार्थियों के आवर्त क्षेत्र में क्रमश: 35.24 प्रतिशत और 41.32 प्रतिशत की कमी थी। कुपोषित बच्चों की बड़ी संख्या (23.30 लाख) अतिरिक्त पोषाहार से वंचित थी। आवाके में से कोई भी सुदृढ़ सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दे पा रहा था क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो भोजन का वितरण करते थे उनमें सुदृढ़ीकरण की क्षमता नहीं थी। बाल विकास परियोजना अधिकारी/अबाविपअ (52.47 प्रतिशत) और पर्यवेक्षकों (31.68 प्रतिशत) जैसे महत्वपूर्ण कर्मियों की कमी और निर्धारित प्रशिक्षणों में कमी ने भी कार्यक्रम के वितरण के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। इन कमियों और नियमित पर्यवेक्षण की कमी के संयोजन के परिणामस्वरूप सेवाओं के प्रतिपादन में कमजोरियों बढ़ी।

(अनुच्छेद 3.6)

मथुरा दास माथुर अस्पताल, जोधपुर का संचालन

मथुरादास माथुर (एमडीएम) चिकित्सालय, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सालय है जहाँ निर्दिष्ट और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हैं। यद्यपि, 2012-17 के दौरान रोगियों की संख्या 7.38 लाख से बढ़कर 11.85 लाख हो गई, लेकिन रोगियों के बढ़ते भार के लिए इन सुविधाओं का संवर्द्धन सराहनीय नहीं था। संसाधन प्रबंधन शिथिल था क्योंकि शल्य चिकित्सा थियेटर, गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) और रोगीकक्ष, कई बुनियादी सुविधाओं की कमी तथा चिकित्सा अधिकारियों तथा नर्सिंग कर्मचारियों की कमी से ग्रस्त थे। आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता के कारण लाभान्वितों को नि:शुल्क दवाओं से वंचित होना पड़ा। अपर्याप्त संसाधनों के कारण, विभिन्न आवश्यक चिकित्सालय सेवायें जैसे एक सप्ताह में ओपीडी दिवसों की संख्या, प्रति रोगी परामर्श समय एवं नैदानिक सेवायें प्रभावित हुई। चिकित्सालय द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, रोगियों की सुरक्षा एवं चिकित्सालय की सुविधा के प्रबंधन के सम्बन्ध में कानूनी/नियामक आवश्यकताओं का पालन नही किया जा रहा था। इस प्रकार, योजना और अनुश्रवण में कमियों के साथ चिकित्सालय के संसाधनों के कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं में कमियां रही।

(अनुच्छेद 3.7)

राजस्थान में डेयरी विकास हेतु गतिविधियां

राजस्थान दूसरी सबसे बड़ी पशुधन आबादी है तथा देश में दुग्ध उत्पादन से डेयरी क्षेत्र के विकास की अत्यधिक संभावना है। यद्यपि, राज्य सरकार ने वर्ष 2020 तक दूध खरीद के 50 लाख किलोग्राम/दिन के लक्ष्य को प्राप्त करने का

परिकल्पना की थी, लेकिन इसका आवश्यक योजना और वित्तीय सहायता द्वारा समर्थन नहीं किया गयाा। दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार या राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) द्वारा कोई भी बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया था। आरसीडीएफ और दुग्ध संघों ने अपनी क्षमताओं का विस्तार नहीं किया। आरसीडीएफ की डेयरी क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन और अनुश्रवण तथा इसकी आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था भी अपर्याप्त थी। इस प्रकार, योजनाओं की कमी, राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त वित्तीय और संस्थागत समर्थन तथा आरसीडीएफ की क्षमताओं और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने में विफलता के कारण राजस्थान में डेयरी क्षेत्र अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन नहीं कर रहा है।

(अनुच्छेद 3.8)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत, वजीरपुरा, टोंक में महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों हेतु निर्मित छात्रावास सुविधा सहित जिला प्रशिक्षण केन्द्र पूर्ण होने के पश्चात् से 15 वर्षो तक अनुपयोगी रहा, परिणामस्वरूप इसके निर्माण पर ₹ 1.51 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.9)

संचालन एवं संधारण कार्य के अभाव में, जिला खण्ड-ाा, जोधपुर एवं जिला खण्ड, फलौदी में स्थापित आरओ संयंत्र अकार्यशील हो गये जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹ 1.53 करोड़ निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.10)

बीकानेर और पाली में विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए निर्मित छात्रावास भवनों का दो से चार वर्षो से अनुपयोगी होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.11)

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना तथा लघु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचा विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कोटा शहर में सीवरेज परियोजना के अनुमोदन से पांच से अधिक वर्ष व्यतीत होने पर भी अपूर्ण रहने के परिणामस्वरुप ₹ 77.78 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.12)